

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- खाना पिता हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- बंशी पिता हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- सोहन पिता हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- भूरी बेवा कल्याण खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादीगण

बनाम

- 1- भोलूदास पिता रामचन्द्र साधू निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मदन दास पिता भोलूदास साधू निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- सम्तदास पिता भोलूदास साधू निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- राजूदास पिता मदन दास साधू निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत निषेधाज्ञा सर्वकालीन
अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट

मुकदमा नम्बर 57/2016 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 25 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा